डिंगरी व मुकदमें इब्बदाई

आ0 2 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी

इजलास सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला उदयपुर राजस्थान व इजलास
... प्रसाद गुर्जर आर ए एस

... गोता फौत के बजाय

श्री भगवान लाल पिता गोता डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर	**बनाम**	1 श्री खेमा पिता पदमा डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर
श्री लालुराम पिता गोता डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर		2 श्री तेजी पिता पदमा डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर
श्रीमती वालु बाई पत्नि गोता डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर		3 श्री कालु पिता मोडा डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर
श्री गंगाराम पिता कचरा जी डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर		4 श्रीमती दोली बेवा/मोडा डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर
		5 श्रीमान भुमिघारी तहसीलदार सराडा जिला उदयपुर

वाद – वाद अन्तर्गत घारा 53.188 रा टि0एक्ट
मुकदमा नम्बर 198/2011 राजस्व वाद

मुकदमा आज वास्ते इन्जिसाल कतई रूबरू हमारे मिमजाविन गुददायलह पेस होकर हुकम दिया जाता है व डिंगरी दी जाती है कि मौजा सराडा पटवार मण्डल सराडा कि आराजी नम्बर 3140 रकबा 0.04 हैक्टर आराजी नम्बर 3141 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 2 रक्बा 0.07 हैक्टर भुमि वादीगण के हिस्से रहेगी जो प्रतिवादीगण के हिस्से के आराजी नम्बर 3142व 3139 के पश्चिमी तरफ स्थित है जो वादी के हिस्से रहेगी वादीगण के हिस्से के आराजी नम्बर 3140 व 3141 पर आने जाने का रास्ता प्रतिवादीगण के हिस्से आये आराजी नम्बर 3142 के पश्चिमी तरफ स्थित आराजी नम्बर 3143 कुँए के तथा आराजी नम्बर 3142 के बिच में होकर आराजी नम्बर 3141 तक रहेगा यानि की वादीगण के आने जाने के लिये मुख्य रोड से 12 फिट चोडा यह रास्ता वादीगण के हिस्से के आराजी नम्बर 3142 के पश्चिमी तरफ से 12 फिट चोडा होकर रोड से आराजी नम्बर 3141 तक रहेगा एवं यह रास्ता राजस्व रेकार्ड में वादीगण के खाते दर्ज होगा वादी – प्रतिवादी के राजीनामें के मुताबिक वादी व प्रतिवादी का वाद स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सराडा को निर्णय प्रति भेजी जावे राजीनामे के मुताबिक विधिवत पोति बटवाडा के अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे।

उप खण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर

... बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शहर फसदी सालाना आज की तारीख वसुलीगण ... अदा करे बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से तारीख 30/06/2017 को जारी की गई।

मुदई	रूपया पैसा	मुदायला	रूपया पैसा
स्टाम्प अरजी दावा	4.00	स्टाम अरजी वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वकालतनामा	2.00	स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सुबत	
महनताना वकील		महनताना वकील	
बबत इजराय हुक्मनामा		बबत इजराय हुक्मनामा	
खर्चा गवाहन	3.00	खर्चा गवाहन	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
		मुतफरिक	

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला उदयपुर राजस्थान
द्वारा – श्री जगदीस प्रसाद गुर्जर आर ए एस

दायर दिनांक

फेसल दिनांक 30/06/2017

संख्या 198/2011 रा0वा0

गौता फौत के बजाय
श्री भगवान लाल पिता गोता डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर
श्री लालुराम पिता गोता डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर
श्रीमती वालु बाई पत्नि गोता डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर
श्री गंगाराम पिता कचरा जी डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर

नाम

श्री खेमा पिता पदमा डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर
श्री तेजी पिता पदमा डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर
श्री कालु पिता मोडा डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर
श्रीमती दोली बेवा/मोडा डांगी निवासी सराडा जिला उदयपुर
श्रीमान भुमिधारी तहसीलदार सराडा जिला उदयपुर

बाबत पोति बटेवाडा एंव स्थाई निबेधाज्ञा अन्तर्गत घारा 53.188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

वाद में वादीगण व प्रतिवादीगण के महय लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा पेश किया गया है जो राजीनामा निम्नानुसार है।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी संख्या 3139 रकबा 0.05 हैक्टर व आराजी नम्बर 3142 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.07 हैक्टर भुमि प्रतिवादीगण के हिस्से रहेगी जो वादीगण के हिस्से के आराजी नम्बर 3140 व 3141 के पुर्वी तरफ यानि की सराडा बस स्टेण्ड से सेमारी जाते हुए बांये हाथ की तरफ स्थित होकर मुख्य रोड पर है वाद ग्रस्त चारो आराजी यात में से उक्त दोनो आराजीयात पूर्वी तरफ होकर मुख्य रोड से सटमा है

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नम्बर 3140 रकबा 0.04 हैक्टर आराजी नम्बर 3141 रकबा 0.03 हैक्टश्र कुल किता 2 रकबा 0.07 हैक्टर भुमि वादीगण के हिस्से रहेगी जो प्रतिवादीगण के हिस्से के आराजी नम्बर 3142 व 3139 के पश्चिमी तरफ स्थित है जो वादी के हिस्से रहेगी

यह कि वादीगण के हिस्से के आराजी नम्बर 3140 व 3141 पर आने – जाने का रास्ता प्रतिवादीगण के हिस्से आये आराजी नम्बर 3142 के पश्चिमी तरफ स्थित आराजी नम्बर 3143 कुएे के तथा आराजी नम्बर 3142 के बिच में होकर आराजी नम्बर 3141 तक रहेगा यानि की वादीगण के आने – जाने के लिये मुख्य रोड से 12 फीट चोडा होकर आराजी नम्बर 3143 कुँए के पुर्व दिशा में रहेगा यानि की आराजी नम्बर 3143 की सीमा से 12 फीट चोडा यह रास्ता प्रतिवादीगण के हिस्से के आराजी नम्बर 3142 के पश्चिमी तरफ से 12 फीट चोडा होकर रोड से आराजी नम्बर 3141 तक रहेगा एंव यह रास्ता राजस्व रेकार्ड में वादीगण के खाते दर्ज होगा।

यह कि उक्त 12 फीट चौडा जो पुर्व से पश्चिम 12 फीट यानि की मुख्य रोड पर 12 फीट होकर आराजी नम्बर 3141 के पूर्वी सीमा तक रहेगा यह 12 फीट चोडा रास्ता राजस्व रेकार्ड में रास्ता होकर वादी व प्रतिवादीगण का शराकती रहेगा इस रास्ते पर वादी व प्रतिवादीगण कोई भी किसी भी तरह का अतिक्रमण या अवरोध पेदा नही करेगे 12 फीट चौडा रास्ता आकाश पाताल तक खुला रहेगा ।

उप खण्ड अधिकारी

यह कि मुताबिक आपसी बंटवाडा से राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 3139 रकबा 0.05 हैक्टर तथा आराजी नम्बर 3142 रकबा 0.02 हैक्टर में से 12 फीट चौडा रास्ते की भुमि छोडकर शेष भुमि प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रेकार्ड दर्ज होगी एंव आराजी नम्बर 3140 व 3141 वादीगण के खाते राजस्व रेकार्ड दर्ज होगी तथा आराजी नम्बर 3142 में स्थित 12 चौडा जो आराजी नम्बर 3142 की पुर्वी सीमा तक लम्बा रास्ता वादीगण के राजस्व रेकार्ड मे खाते दर्ज होकर दर्ज होगा।

यह कि इस आपसी समझौते के साथ एक नजरी नक्शा संलग्न किया है जिसमे वादीगण का हिस्सा लाल रंग से तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा हरे रंग से एंव रास्ता काले रंग से दर्शित कर रखा है जो नक्शा इस आपसी समझौते का अभिन्न अंग है।

7. यह कि खर्चा पक्षकारान दोनो अपना वहन करेगे उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण दोनो पक्ष मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर दिंनाक 27/01/2017 को पेश जिसमें दोनो पक्षो ने आपसी सहमति से राजिनामा पेश किया वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामे हस्ताक्षर किये जो अधिवक्ताओ ने लोक अदालत केम्प सराडा में दोनो पक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति राजीनामे के मुताबिक निर्णय हैतु उपस्थित सहमत है।

हमारे द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली दस्तावेज राजीनामे का ध्यान पुर्वक मनन/अवलोकन किया गया अतः– वादी व प्रतिवादीगण का राजीनामा स्वीकार किया जाता है अत पत्रवाली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तहसीलदार सराडा को पालना हेतु अलग से लिखा जाकर आपसी राजीनामे मुताबिक विधिवत पोति बंटवाडा के अनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे डिकी पर्चा अलग से जारी है।

उप खण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर

उपरोक्त निर्णय मेरे हस्ताक्षर एंव कार्यालय मोहर द्वारा आज दिंनाक 30/06/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सराड़ा
राज. सरकार
जिला उदयपुर (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर